



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्रमांक.../म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग/शुस/2018
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/10/2018

कुलसचिव,
सेज विश्वविद्यालय,
कैलोड, इंदौर-देवास बायपास रोड,
राउ, इंदौर (म.प्र.) ।

विषय:- वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित शुल्क की समीक्षा ।

—00—

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में वर्ष 2018-19 हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क की समीक्षा समिति की अनुशंसा एवं आयोग की बैठक दिनांक 08/10/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार, सेज विश्वविद्यालय, इंदौर में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रु. लाख में)

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क (15%)	योग
1	Diploma In Engg. (CE/MECH/EEE/ECE/CSE)	0.30	0.25	0.05	0.30
2	Graduation In Engg. (CS/IT/ECE/MECH/CE)	0.60	0.50	0.09	0.59
3	Post-Graduation In Engg.(CSE/DC/ME&VLSI/AE/PE)	0.70	0.35	0.06	0.41
4	PHD In Engg. (ME/CSE/ECE/CE)	0.75	0.63	0.11	0.74
5	PHD Advance Computing (AI/CC/CS&F/DS)	0.75	0.64	0.11	0.75
6	Graduation In Advance Computing (AI/CC/CS&F/DS)	1.50	1.27	0.22	1.49
7	Post-Graduation In Advance Computing (AI/CC/CS&F/DS)	1.50	1.26	0.22	1.48
8	PHD Law & Legal Studies	0.75	0.63	0.11	0.74
9	Graduation In Law & Legal Studies(LLB-H/BALLB/BBALLB)	0.50	0.42	0.07	0.49
10	Post-Graduation Law & Legal Studies(LLM)	0.50	0.42	0.07	0.49
11	Diploma In Pharmaceutical Science (D.Pharma)	0.75	0.63	0.11	0.74
12	Graduation In Pharmaceutical Science (B. Pharma)	0.75	0.63	0.11	0.74
13	PHD (Pharmaceutical Science)	0.75	0.63	0.12	0.75
14	Graduation In Hotel Management (BHM/BHMCT/BHMTT)	1.00	0.85	0.15	1.00
15	Post-Graduation Hotel Management (BHM/BHMCT/BHMTT)	1.00	0.84	0.15	0.99
16	Graduation In Arts (BVA/BPA/BFA)	1.00	0.85	0.15	1.00

17	Post-Graduation In Arts (MVA/MPA/MFA)	1.00	0.85	0.15	1.00
18	PHD (Arts)	0.75	0.64	0.11	0.75
19	Graduation In Arts, Humanities & Social Science (BA-Pscy/Eco/EngLit/PubAd/PolSc/Hstry/Sociology)	0.50	0.42	0.07	0.49
20	Post-Graduation In Arts, Humanities & Social Science (MA-Pscy/Eco/EngLit/PubAd/PolSc/Hstry/Sociology)	0.50	0.42	0.08	0.50
21	Graduation In Computer Application (BCA)	0.40	0.34	0.06	0.40
22	Post-Graduation In Computer Application (MCA)	0.40	0.34	0.06	0.40
23	Graduation In Library Science (B.LIB/B.LIB SC)	0.40	0.33	0.06	0.39
24	Post-Graduation In Library Science (M.LIB/M.LIB SC)	0.40	0.34	0.06	0.40
25	Graduation In Vocational Studies (B.Voc)	0.40	0.34	0.06	0.40
26	Post-Graduation In Vocational Studies (M.Voc)	0.40	0.34	0.06	0.40
27	Diploma In Architecture	0.50	0.42	0.08	0.50
28	Graduation In Architecture (B.Arc)	0.75	0.64	0.11	0.75
29	Diploma In Design	0.60	0.51	0.09	0.60
30	Graduation In Design (B. Des)	0.90	0.71	0.13	0.84
31	Post-Graduation In Design (M.Des.)	0.90	0.72	0.13	0.85
32	PHD (Agriculture)	0.75	0.64	0.11	0.75
33	Graduation In Agri Ver (BSC)	0.75	0.42	0.07	0.49
34	Post-Graduation In Agri Ver (Msc-Agro/SoilSc/Ento/Horti/Plant Path.)	0.75	0.64	0.11	0.75
35	PHD Management	0.75	0.50	0.09	0.59
36	Graduation In Management (BBA/BBA Aviation)	0.63	0.53	0.09	0.62
37	Post-Graduation In Management (MBA)	0.65	0.46	0.08	0.54
38	PHD In Commerce	0.75	0.64	0.11	0.75
39	Graduation In Commerce (Taxtaion/BF/Economic/Computer)	0.40	0.29	0.05	0.34
40	Post-Graduation In Commerce (M.Com)	0.40	0.34	0.06	0.40
41	Graduation In Journalism (BA J&MC)	0.50	0.37	0.07	0.44
42	Post-Graduation In Journalism (MA J & MC)	0.55	0.47	0.08	0.55
43	Graduation In Science (Chem/Physics/Maths/Forsc/cyb.Sec/Comp.Sc/Gelogy/Biotech/Microbiology/Horticulture)	0.50	0.36	0.06	0.42
44	Post-Graduation In Science (Msc-Microbiology/Biotech/Physics/Chem./Maths)	0.50	0.42	0.08	0.50
45	PHD In Science	0.75	0.59	0.11	0.70

1. उपरोक्त शुल्क के पाठ्यक्रम के संचालन से संबन्धित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुर्नमूल्याकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस

चार्लेस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. कुल अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क 15% का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
3. आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ी तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई स्पष्ट करनी होगी, यदि लागते कम हुई तो अधिक वसुली गई फीस छात्रों को वापस करना होगी।

(मा.अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

म.प्र. निजी वि.वि.वि. आयोग,
भोपाल